



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 28.08.2023

अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार ।

कब्जे से 10 किग्रा गांजा किया गया बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निदेशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरण-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28.08.2023 को थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति मुरैथा जाने वाले तिराहे से हाथ में बैग लिये आ रहा है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिस पर थाना इकदिल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त परशुराम उर्फ काडी पुत्र स्व० तिलक सिंह निवासी ग्राम डेराबंजारन मुरैथा थाना इकदिल जनपद इटावा को लगभग 10 किग्रा अवैध गांजा सहित **मुरैथा जाने वाले तिराहे से** गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

परशुराम उर्फ काडी पुत्र स्व० तिलक सिंह निवासी ग्राम डेराबंजारन मुरैथा थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष

बरामदगी-

1. 9.13 किग्रा अवैध गांजा

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 201/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 90/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
- मु०अ०सं० 175/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
- मु०अ०सं० 179/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
- मु०अ०सं० 201/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा

पुलिस टीम- निरी० श्री दीपक कुमार प्रभारी इकदिल, व०उ०नि० विश्वनाथ मिश्र, उ०नि० नागेन्द्र सिंह, का० जुबैर अख्तर, का० सचिन कुमार, का० एलम सिंह, का० राजकुमार, हे०का० चा० विवेक कुमार ।